


02/12

राजपर्वीकर उपखण्ड राजपर्वीकर विभाग  
के प्रकाश में पारित की गयी है।  
निर्दिष्टा का मूल काग में विहित तह  
कर्मका करने हेतु निर्दिष्ट किया।

पत्रवली का उपलब्ध किया। अडावीगड  
के विरुद्ध एकपत्री कर्मपत्री कागल में लाई  
जा चुकी है। अतः प्रकाश में अडावीगड की  
कोर्ट में कोर्ट एतरान प्रस्तुत नहीं किया जा  
ये। ईव स्थिति में राजपर्वी में निर्दिष्टा विरुद्ध  
अडावीगड पारित किया जागा उचित है।

लिखित प्रत्यक्ष स्वीकार किया जागा  
राजपालक वारा दिनांक 20/12/2024 को  द्वारा  
निर्दिष्टा का मूल काग में विहित तह कर्मका किया  
जाता है। पत्रवली लेखनी के मुद्रण द्वारा मूल काग संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी  
राजसिंहग